



2026: AHC: 29924-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 1572/2026

श्रवण कुमार पांडे याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 9 अन्य प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: राहुल श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: प्रदीप कुमार श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को दिन के दौरान रिट याचिका के पक्षकारों की श्रेणी में "पुलिस आयुक्त, प्रयागराज" को प्रतिवादी संख्या 11 के रूप में जोड़ने की अनुमति दी जाती है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
3. वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है: -

"1. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जो प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को अपराध संख्या 334/2025, बी.एन.एस. की धारा 103(1), 351(3), थाना- करछना,

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



जिला- यमुनानगर (कमिश्नरेट प्रयागराज) की (निष्पक्ष, निष्पक्ष और त्वरित) जांच करने का निर्देश दे।

II. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जो प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को अपराध संख्या 334/2025, बी.एन.एस. की धारा 103(1), 351(3), थाना- करछना, जिला- यमुनानगर (कमिश्नरेट प्रयागराज) में प्रतिवादी संख्या 4 से 10 को गिरफ्तार करने का निर्देश दे और मामले की जांच किसी अन्य जांच अधिकारी/स्वतंत्र एजेंसी को निष्पक्ष और सही जांच के लिए निर्देशित करे;

III. कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के लिए उचित और उपयुक्त समझे।

IV. याचिका का खर्च याचिकाकर्ता को प्रदान करें।"

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता वर्तमान मामले में प्रथम सूचनाकर्ता है और यद्यपि वर्तमान मामले में एफ.आई.आर. 13.10.2025 को दर्ज की गई है, फिर भी पुलिस निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से मामले की जांच नहीं कर रही है।
5. उपरोक्त के आलोक में, याचिकाकर्ता अपनी शिकायत बताते हुए और निष्पक्ष एवं तटस्थ जांच की मांग करते हुए प्रतिवादी संख्या 11- पुलिस आयुक्त, प्रयागराज के समक्ष एक आवेदन दे सकता है, और यदि याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा आवेदन दिया जाता है, तो प्रतिवादी संख्या 11- पुलिस आयुक्त, प्रयागराज, वर्तमान मामले में निष्पक्ष, तटस्थ और त्वरित जांच सुनिश्चित करेंगे।
6. उपरोक्त आदेश के साथ, वर्तमान रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

10 फरवरी, 2026

के.एस.

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"